

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 8038-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 14-8-2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक पृष्ठांकन क्रमांक 5(2) 2015-16/3216.

मेसर्स अग्रवाल डिस्टिलरीज प्रा. लि. बड़वाह
जिला खरगोन

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2- कलेक्टर खरगोन
- 3- उपायुक्त आबकारी संभागीय दस्ता इन्दौर
- 4- जिला आबकारी अधिकारी जिला खरगोन

.....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री प्रभात जादौन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::


(आज दिनांक 10/10/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 5(1)/2012-13/1600 दिनांक 31-5-2012 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. आसवनी नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) के अन्तर्गत रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट का न्यूनतम संग्रह 45000 प्रूफ लीटर रखे जाने के आदेश दिये गये थे । जिला आबकारी अधिकारी, खरगोन ने अपने पत्र क्रमांक 2013/204 दिनांक 7-6-2013 द्वारा आबकारी आयुक्त को अवगत कराया कि आसवक द्वारा दिनांक 29-9-2012 से 19-4-2013 के मध्य 61 दिवसों पर स्पिरिट का न्यूनतम संग्रह से कम संग्रह रखा गया है । जिला आबकारी अधिकारी के उक्त पत्र के आधार पर आबकारी

आयुक्त ने पत्र क्रमांक 5(2) 2015-16/3793 दिनांक 2-12-2014 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं अपीलार्थी कम्पनी से जवाब प्राप्त किया जाकर दिनांक 14-8-2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. आसवनी नियम के नियम 4(4) का उल्लंघन किया जाना मान्य कर म.प्र. आसवनी नियम के नियम 8 (3) के अनुसार कुल 61 दिवसों पर निर्धारित न्यूनतम संग्रह से रेक्टिफाइड स्प्रिट से कम रखे गये संग्रह पर रुपये 6,12,512/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में यह बताया गया था कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से 15000 बल्क लीटर प्रतिदिन के मौलासिस के उपयोग के आधार पर स्प्रिट उत्पादन की सम्मति प्राप्त है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, दिल्ली के द्वारा स्प्रिट उत्पादन को 11000 बल्क लीटर प्रतिदिन के मान से बाधित कर दिया गया है । आसवनी में स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम संग्रह की मात्रा 45000 पूफ लीटर है, जो कि आसवनी के तीन दिन के स्प्रिट उत्पादन के बराबर है, अतः तीन दिवसों पर आसवनी को आवंटित प्रदाय क्षेत्रों में देशी मदिरा के प्रदाय की पर्याप्त आपूर्ति करने हेतु निर्धारित न्यूनतम संग्रह में से स्प्रिट का परेषण किया जाता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जवाब में यह भी बताया गया था कि आसवनी में स्प्रिट उत्पादन मौलासिस के आधार पर किया जाता है और मौलासिस के उपलब्धता मुख्यतः माह नवम्बर से माह फरवारी तक रहती है । अतः मौलासिस के समय से न मिलने के कारण भी स्प्रिट उत्पादन बाधित होता है, यह भी न्यूनतम संग्रह में कमी का कारण है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के कारण राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और न ही प्रदाय प्रभावित हुआ है । यदि शासन को हानि हुई है तो उसको सिद्ध करने का प्रमाण भार शासन पर है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के बीच एक संविदा है तथा संविदा के संदर्भ में भारतीय संविदा अधिनियम, 192 की धारा 74 के प्रावधानों सम्बन्ध में



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 (सुप्रीम कोर्ट) 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 (सुप्रीम कोर्ट) 1098 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टांत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर स्वेच्छाचारी एवं मनमाना आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :-

(1) अपीलार्थी को दिनांक 2-12-2014 को सूचना पत्र जारी कर राशि जमा कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया जाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद ही आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है ।

(2) मध्यप्रदेश आसवनी नियम के नियम 4(4) के अनुसार आसवनी में रेक्टिफाइड स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 26-9-2012 से 19-4-2013 के मध्य 61 अवसरों पर स्प्रिट का निर्धारित न्यूनतम संग्रह का संधारण नहीं किया गया है, जो कि नियम का उल्लंघन है ।

(3) अपीलार्थी कम्पनी को स्प्रिट उत्पादन के लिए मौलासिस की अनुपलब्धता की स्थिति में स्प्रिट क्रय कर या आयात कर आसवनी में स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह रखना था, जो कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं रखा गया है ।

(4) राजस्व की हानि न हो एवं आवंटित क्षेत्रों में प्रदाय व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखा लेकिन नियमानुसार आसवनी में स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आबकारी आयुक्त के निर्देशों एवं म.प्र. आसवनी नियम के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्वयं 61 अवसरों पर रेक्टिफाइड स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह से कम संग्रह रखा जाना स्वीकार किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आसवनी में कुल 61 दिवसों में रेक्टिफाइड स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह कुल




1225023.9 प्रुफ लीटर स्प्रिट कम मात्रा में रखी गई है, जिसे अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. आसवनी नियम के नियम 4(4) तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा म.प्र. आसवनी नियम के नियम 8(3) के अन्तर्गत रूपये 6,12,512/- शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहाँ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2015 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक अपील 3558-पीबीआर/15 मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा. लि. बड़वाह जिला खरगोन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं तीन अन्य पर भी लागू होगा। अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर